प्रारूप

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
मंत्रिपरिषद् के विचारार्थ संलेख

विषयः मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

राज्य के 27 Non-IAP जिलों में यथा अररिया, बाँका, भागलपुर, छपरा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार, किशनगंज एवं पूणियाँ 250 से अधिक आबादी वाले सभी अनजुड़े बसावटों को वर्ष–2017-18 तक बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करना विभाग का लक्ष्य है ताकि राज्य में ग्रामीण जनता को कृषि उत्पादों के सही मूल्य के अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बाजार की अच्छी सुविधा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में लगभग 37908 कि0 मी0 पथों का निर्माण/उन्नयन किया जाना है। 37908 कि0 मी0 पथ के निर्माण पर वर्त्तमान दर के अनुसार लगभग ₹ 26535 करोड़ की आवश्यकता है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2013-14 तथा 2014-15 के लिए ₹ 5378 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इस राशि से 6441 कि0 मी0 पथ का निर्माण राज्य योजना से किया जाना है।

2. मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के संकल्प की कंडिका–2-2 में योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाहय् श्रोत से कराने का प्रावधान है। संकल्प के सुसंगत कंडिका की प्रति अनुसूची–1 पर है।
3. वित्त विभाग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित मार्गदर्शिका के आलोक में कार्रवाई करने का परामर्श देते हुए विश्व बैंक से अतिरिक्त राशि प्राप्त करने पर सैद्धांतिक सहगति प्रदान की गयी।
4. उक्त सैद्धांतिक सहमति के आलोक में 5000 कि0 मी0 पथों के निर्माण हेतु कुल खर्च ₹ 4300 करोड़ अनुमानित लागत के विरूद्ध, विश्व बैंक से राशि ₹ 3000 करोड़ एवं

राज्यांश ₹ 1300 करोड़ का प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया।

5. दिनांक–20.11.2014 को नॉर्थ बलॉक नई दिल्ली में आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में संपन्न 44वें संविक्षा समिति (Screening Committee) की बैठक में ₹ 4300 करोड़ की योजना के प्रस्ताव पर विचार किया गया। समिति द्वारा प्रारम्भ में ₹ 2000 करोड़ (333 Million US $) की परियोजना के कार्यान्वयन की अनुशंसा की गयी, जिसके लिए विश्व बैंक से IBRD ऋण के रूप में 70% राशि, अर्थात ₹ 1400 करोड़, उपलब्ध कराया जायेगा तथा शेष 30% राशि यथा ₹ 600 करोड़ राज्य सरकार को अपने राज्य बजट से वहन करना होगा। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कुल 5000 कि0 मी0 पथों (राशि ₹ 4300 करोड़) के लिए परियोजना का परिरूप (Project Design) अभी तैयार किया जाय। प्रथम चरण की प्रगति के आधार पर विश्व बैंक द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जा सकेगा। यह भी सहमति बनी कि योजना का आकार जितना भी हो, उसका 30% राशि राज्य सरकार के बजट से भारित किया जायेगा।

उक्त बैठक में यह तथ्य भी राज्य सरकार के संज्ञान में लाया गया कि IBRD ऋण के Undisbursed Amount के लिए प्रति वर्ष 0.25% की दर से राज्य सरकार पर Commitment Charge भारित होगा। आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार के 44th Screening Committee की बैठक की कार्यवाही अनुसूची–2 पर है।

6. (a) 5000 कि0 मी0 के ग्रामीण पथ निर्माण के लिए ₹ 4300 करोड़ का विश्व बैंक से IBRD वित्तीय सहायता का अंश तथा राज्यांश का विवरण निम्न प्रकार है:–

Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
Civil Works	2890	1290	4180
Technical Assistance	110	10	120
Total	**3000**	**1300**	**4300**

(b) प्रथम चरण में DEA द्वारा ₹ 2000 करोड़ की योजना को विश्व बैंक से प्राप्त सहायता से कराने हेतु अनुशंसा किया गया है जिसमें विश्व बैंक अंश तथा राज्यांश निम्न प्राकर है:–

Financial Year	Component	World Bank Share (in Crore)	State Share (in Crore)	Total (in Crore)
2015-16	(A) Civil Works	467	200	667
2016-17		878	395	1273
Sub Total (A)		**1345**	**595**	**1940**
2015-16	(B) Technical Assistance	15	–	15
2016-17		40	5	45
Sub Total (B)		**55**	**5**	**60**
Grand Total (A+B)		**1400**	**600**	**2000**

7. इस योजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की मार्गदर्शिका के अनुसार की जायेगी। निविदा की प्रक्रिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RRP-II) के लिए निर्धारित Model Bidding Document (MBD) के अनुसार की जायेगी।
8. विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के लिए प्रथम चरण में 10 जिले क्रमशः अररिया, बाँका, बक्सर, छपरा, पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, कटिहार, वैशाली, पटना एवं पूर्णिया का चयन किया गया तथा प्रथम चरण में इन जिलों में कुल 1501 पथ जिसकी अनुमानित लम्बाई 2453 कि0 मी0 है को चयनित किया गया है, जिसमें 2 कि0 मी0 एवं इससे अधिक लम्बाई के 601 पथ (1904 कि0 मी0) तथा 2 कि0 मी0 से कम लम्बाई के 450 पथ (549 कि0 मी0) शामिल हैं। परियोजना के द्वितीय चरण में शेष 17 Non-IAP जिलों में यथा भागलपुर, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, नालंदा, भोजपुर, बेगुसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, एवं किशनगंज अवशेष 3000 कि0 मी0 लम्बाई के लिए पथों का चयन किया जायेगा। इस प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। चयनित पथों की सूची अनुसूची–3 पर है।
9. बिहार सरकार द्वारा IBRD से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार तथा विश्व बैंक के बीच परियोजना एकरारनामा किया जाएगा, जिसके लिए राज्य मंत्रिपरिषद् की पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
10. मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 29.07.2015 को संपन्न बैठक, जिसमें प्रधान सचिव, वित्त विभाग एवं प्रधान सचिव योजना विकास विभाग भी उपस्थित थे, में ग्रामीण कार्य विभाग को सीमित संख्या में जिलों का चयन करने एवं 30% सड़क का निर्माण कार्य का Tender शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। कार्यवाही की प्रति अनुसूची–4 पर है।

1273

11. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री की सहमति प्राप्त है।

12. कंडिका–8 एवं 9 के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की सहमति प्रार्थित है।

11/8/15

(विनय कुमार)
सचिव

ज्ञापांकः–BRRDA (HQ) MMGSY (W.B)-340/2015 Part-II-3930(P.V.O) पटना, दिनांक– 11/8/15

प्रतिलिपिः–संलेख की 45 प्रतियाँ अनुलग्नक सहित मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार सरकार को प्रेषित। अनुरोध है कि संलेख को मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक में विचारार्थ शामिल करने की कृपा की जाय।

11/8/15 सचिव